

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-562
दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय विद्युत योजना के उद्देश्य

562. श्री अनन्त नायकः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री सुधीर गुप्ताः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विद्युत पारेषण प्रणाली को पड़ोसी देशों और कुछ अन्य एशियाई देशों के साथ जोड़ने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(च) निकट भविष्य में देश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परम्परागत उपायों की अपेक्षा विद्युत के गैर-पारंपरिक उपायों का बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) की शुरूआत अक्टूबर, 2024 में की गई है।

(ख) से (ग) : राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) में वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान प्रगति, वर्ष 2022-23 से 2026-27 की अवधि के लिए विस्तृत पारेषण योजना और वर्ष 2027-28 से 2031-32 की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना शामिल है। इस योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक की दस वर्ष की अवधि के दौरान 1,91,474 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें और 1,274 गीगावोल्ट एम्पीयर (जीवीए) ट्रांसफॉर्मर्शन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ी जाएगी। इसके अलावा,

33.25 गीगावाट (जीडब्ल्यू) हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) बाइ-पोल लिंक की भी योजना बनाई गई है। अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को वर्तमान 119 गीगावाट से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 तक 143 गीगावाट तथा वर्ष 2031-32 तक 168 गीगावाट तक करने की योजना है।

यह योजना पारेषण में नई प्रौद्योगिकी विकल्पों, सीमा पार इंटर-कनेक्शन और पारेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी प्रकाश डालती है।

पारेषण योजना विद्युत उत्पादकों, उपकरण निर्माताओं, पारेषण सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) और निवेशकों को पारेषण क्षेत्र में विकास के अवसरों के लिए व्यवस्था प्रदान करती है।

(घ) : राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण), अन्य बातों के साथ-साथ नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के साथ मौजूदा, कार्यान्वयनाधीन और नियोजित इंटर-कनेक्शन को समाहित करती है।

(ङ) : इस योजना पर लगभग 9,16,142 करोड़ रुपये कुल व्यय होने की संभावना है।

(च) : निकट भविष्य में देश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर-पारंपरिक उपायों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

- i. सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिए जून, 2025 तक तथा अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसंबर, 2032 तक अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिए गए हैं।
- ii. नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) खपत को बढ़ावा देने के लिए, विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अलग आरसीओ सहित वर्ष 2029-30 तक नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) प्रक्षेपवक्र अधिसूचित किया गया है।
- iii. विस्तृत पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को भूमि और पारेषण प्रदान करने के लिए अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की संस्थापना।
- iv. नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता तैयार करने के लिए वित्त पोषित किया गया है।
- v. अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 1 गीगावाट क्षमता की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं (गुजरात और तमिलनाडु के तट पर 500 मेगावाट प्रत्येक) की संस्थापना और शुरूआत की जाएगी।
- vi. अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की संस्थापना के लिए रणनीति जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बिडिंग ट्रेजिकट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यावसायिक मॉडल दर्शाए गए हैं।
- vii. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए पारेषण योजना तैयार की गई है।
- viii. सौर पीवी मॉड्यूल्स का देश में उत्पादन में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च दक्षता वाली सौर पीवी मॉड्यूल्स के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेटिव (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।
